

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या-25/2016/उदयपुर
2. रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या-26/2016/उदयपुर
(अपील सं. 1974/2014 व 1975/2014 में
पारित आदेश दिनांक 14.09.2016 के सम्बन्ध में)

मैसर्स मिनरल प्रोडक्ट ऑफ इण्डिया, उदयपुर
बनाम

...अपीलार्थी / प्रार्थी

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-प्रथम, वृत्त-बी, उदयपुर

...प्रत्यर्थी / अप्रार्थी

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता

अभिभाषक

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 20.08.2018

निर्णय

1. उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र व्यवहारी मैसर्स मिनरल प्रोडक्ट ऑफ इण्डिया, उदयपुर द्वारा अपील सं. क्रमशः 1974/2014 व 1975/2014 में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की सम्माननीय एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.09.2016 के संबंध में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वेट अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये हैं।
2. विचाराधीन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के मूल कर निर्धारण आदेश राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "राजस्थान विक्रय कर अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 29(6) के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक 22.01.2002 एवं दिनांक 16.02.2004 को पारित कर 'शून्य' मांग निकाली। तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 30, 65 एवं 58 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत दिनांक 22.08.2006 को कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए निम्न तालिका के अनुसार मांग सृजित की गई :-

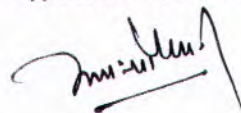
अपील सं.	वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	योग
1340/10	2001-02	1,82,220	1,53,976	3,64,440	7,00,636
1341/10	2002-03	4,47,361	2,84,194	8,54,722	15,66,277

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तालिका के अनुसार सृजित मांग में संशोधन करने हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत संशोधन प्रार्थना पत्र पर संशोधन आदेश दिनांक 08.06.2007 को पारित करते हुए संशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार

लगातार.....2.

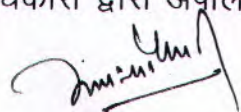
कर दिये। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की, जिन पर विचार करने के पश्चात अपीलीय अधिकारी ने अपीलें स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि सी-फार्म एवं ई-1 फार्म की मूल प्रतियां प्राप्त कर उनका सत्यापन एवं परीक्षण कर उन्हें स्वीकार कर नियमानुसार अवशेष बचे कर पर ब्याज व शास्ति आरोपित करें। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.03.2010 से क्षुब्ध होकर माननीय कर बोर्ड के समक्ष अपीलें सं. 1340/2010 व 1341/2010 प्रस्तुत की। माननीय खण्डपीठ ने आदेश दिनांक 27.05.2013 के द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.03.2010 को उचित मानते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की गई। इसी दौरान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत आदेश दिनांक 26.03.2012 पारित करते हुए पूर्व आदेश दिनांक 08.06.2007 को माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय के अध्यक्षीन अपरिवर्तित रखा गया। व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 26.03.2012 के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2014 से निस्तारित करते हुए प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया कि पुनः जांच कर आदेश पारित करें। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष उपरोक्त अपील सं. 1974/2014 एवं 1975/2014 प्रस्तुत की गई जो माननीय एकलपीठ के विचाराधीन निर्णय दिनांक 14.09.2016 द्वारा अस्वीकार की गई जिसमें संशोधन हेतु उपरोक्त संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. रेक्टिफिकेशन प्रार्थना दर्ज किये जाकर रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।
4. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
5. विद्वान अभिभाषक व्यवहारी की ओर से कथन किया गया कि उपायुक्त अपीलस द्वारा निर्णय दिनांक 30.03.2010 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया गया था जब कि कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 26.03.2012 पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। इन्होंने आगे कथन किया कि एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2016 में अपील में लिये गये इस आधार पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। इन्होंने संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी का आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया। इन्होंने अपने समर्थन में टीयूडी वोल्यूम 41 पार्ट 8 पेज 295 सहायक आयुक्त बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. जयपुर एवं 22 टीयूडी



लगातार.....3.

- वोल्यूम 35 पार्ट 3 पेज 22 सहायक आयुक्त अलवर बनाम कामधेनु इस्पात लि. भिवाडी के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।
6. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अनुरोध किया।
 7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
 8. यहां यह उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के मूल कर निर्धारण आदेश राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 29(6) के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक 22.01.2002 एवं 16.02.2004 को पारित कर शून्य मांग निर्धारित की। कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 30, 65 एवं 58 तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत दोनों वर्षों के अलग-अलग कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.08.2006 पारित कर बिन्दू सं 2 में अंकित तालिकानुसार करारोपण किया। इन आदेशों में यह कथन किया गया है कि व्यवसायी द्वारा अलोच्य अवधियों में डोलोमाईट गिट्टी की बिक्री की गई है जिस पर प्रथम बिन्दू पर कर देय था। व्यवसायी ने विक्रय को लेखा पुस्तकों से छुपाया है। कर निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त आधार पर कर, ब्याज व शास्ति आरोपित की।
 9. व्यवहारी ने उपरोक्त आदेश में संशोधन हेतु विक्रय कर अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा कथन किया कि व्यवसायी द्वारा सी-फार्म पर बिक्री की गई है, अतः तदनुसार करारोपण किया जावे। कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 08.06.2007 द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र इस आधार पर अस्वीकार किया है कि व्यवसायी द्वारा वार्षिक विवरण पत्र में किसी प्रकार की बिक्री नहीं दिखाई है जबकि अब 4 प्रतिशत की रियायती दर पर क्लेम करना अनुचित है। कर निर्धारण के समय भी किसी प्रकार के दस्तावेज होने व पेश करने में असमर्थता व्यक्त की हैं।
 10. व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की जिनमें अपीलीय अधिकारी ने अपीलें स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि सी-फार्म एवं ई-वन फार्म की मूल प्रतियाँ प्राप्त कर उनका सत्यापन एवं परीक्षण कर उन्हें स्वीकार कर नियमानुसार अवशेष बचे कर पर ब्याज व शास्ति आरोपित करें।
 11. अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.03.2010 के विरुद्ध विभाग द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील सं 1340/10 व 1341/10 प्रस्तुत होने पर खण्डपीठ के आदेश दिनांक 27.05.2013 द्वारा अपीलें अस्वीकार की गई।
 12. इसी दौरान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक

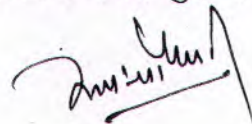


लगातार.....4.

(अपील सं. 1974 व 1975/2014)

30.03.2010 के रिमाण्ड आदेश की पालना में पुनः संयुक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2012 पारित किया गया। इस आदेश में यह कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले से डोलोमाईट मिनरल का खनन किया जाकर उदयपुर की फर्म इण्डिया फास्फेट लि. को बेचान किया है। विक्रय बिलों में राज्य के भीतर के विक्रय पर 4 प्रतिशत की कर दर से केन्द्रीय बिक्री कर की वसूली की गई है तथा इस बेचान के विरुद्ध क्रेता फर्म मै. इण्डिया फास्फेट लि. उदयपुर को घोषणा पत्र ई-वन, ई-2 जारी किया जाना एवं सी-फार्म प्राप्त किया जाना जाहिर करते हुए राज्य के भीतर के विक्रय को धारा 6(2) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय कर मुक्त विक्रय के रूप में दर्शाया है। कर निर्धारण अधिकारी ने यह अवधारित किया कि प्रस्तुत घोषणा पत्र ई-वन, ई-2 एवं सी फार्म पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा खान विभाग द्वारा जारी रवन्ना, विक्रय बिल, बिल्टियाँ, क्रेता का चालान आदि पारस्परिक तौर पर विरोधाभासी है। कर निर्धारण अधिकारी ने कर बोर्ड में विचाराधीन अपीलों के निर्णय के अध्ययन के अधीन आदेश दिनांक 08.06.07 यथावत रखे।

13. व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 26.03.2012 के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गईं जो निर्णय दिनांक 29.08.2014 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की गईं।
14. उपरोक्त आदेश दिनांक 29.08.2014 के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपील सं 1974/14, 1973/14 प्रस्तुत की जो कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ के निर्णय दिनांक 14.09.2016 द्वारा अस्वीकार की गई है। प्रार्थी व्यवसाई द्वारा रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र उपरोक्त आदेश दिनांक 14.09.2016 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।
15. व्यवसायी की ओर से रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह है कि व्यवसायी द्वारा अपनी अपील में यह आधार लिया गया था कि उपायुक्त अपील्स द्वारा निर्णय दिनांक 30.03.2010 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया गया था जब कि कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 26.03.2012 पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थी व्यवसायी का कथन है कि एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2016 में अपील में लिये गये इस आधार पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है।
16. अपील पत्रावलियों के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी व्यवसायी ने अपीलों में यह आधार लिया है कि अपीलीय अधिकारी ने रिमाण्ड आदेश केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है तथा इस बिन्दु पर विवेचना या विश्लेषण करते हुए माननीय एकलपीठ द्वारा निष्कर्ष पारित

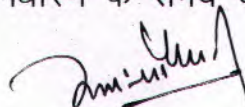


लगातार.....5.

नहीं किया गया है जो रिकार्ड पर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाली त्रुटि है। अतः व्यवहारी द्वारा अपील में लिये गये इस आधार पर विचार किया जा रहा है।

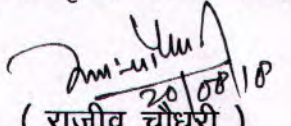
17. विचाराधीन अपील में अपीलार्थी का मुख्य आधार यह है कि अपीलीय अधिकारी ने रिमाण्ड आदेश केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित किया है। पत्रावली सं. 1340/10 एवं 1341/2010 में उपलब्ध अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.03.2010 के अवलोकन से पता चलता है कि यह आदेश राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 82 एवं राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पारित किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने इस रिमाण्ड आदेश की पालना में आदेश दिनांक 26.03.2012 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 की धारा 37 के अन्तर्गत पारित किया। व्यवसायी द्वारा अपील आधार में यह कथन किया है कि उपायुक्त अपीलस ने प्रकरण केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित किया है, सही नहीं है क्योंकि कि अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 26.03.2012 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पारित किया है जिससे अपीलार्थी को अपील में लिये गये आधार में कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता। यदि प्रकरण में गुणावगुण पर भी विचार किया जाये तो विवाद राजस्थान विक्रय कर अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के संबंध में नहीं है बल्कि मुख्य विवाद यह है कि अपीलार्थी द्वारा विक्रय बिलों में 4 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय विक्रय कर की वसूली की गई है जिन्हे घोषणा पत्र ई-वन व ई-2 में कर मुक्त के रूप में दर्शाया है तथा ऐसी स्थिति में अन्तर्राज्यीय बिक्री के संबंध में व्यवहारी को लाभ दिया जा सकता है या नहीं। इस बिन्दू पर अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है तथा व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के संबंध में जांच आदि कार्यवाही कर तदनुसार करारोपण के निर्देश लिये हैं। इस प्रकार मूल विवाद का बिन्दू अभी भी निस्तारण के स्तर पर है तथा अपीलीय अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किस अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है इसका प्रभाव मूल विवाद पर नहीं है।

18. व्यवसायी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत टीयूडी वोल्यूम 41 पार्ट 8 पेज 295 सहायक आयुक्त बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. जयपुर में अपीलीय अधिकारी ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने रिमाण्ड आदेशों की पालना में निर्देशों की पालना के साथ-साथ बिटूमन पर 10 प्रति. की दर से अतिरिक्त कर आरोपित कर दिया था जो कि रिमाण्ड आदेशों में निर्देशित नहीं किया गया था। विचाराधीन प्रकरण में तथ्य इससे भिन्न है क्योंकि विचाराधीन प्रकरण में मुख्य विवाद यह है कि कर निर्धारण के समय घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये व



वाद में घोषणा पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जबकि विक्रय बिलों में अलग स्थिति है, ऐसी स्थिति में घोषणा पत्रों के आधार पर अन्तर्राज्यीय बिक्री का लाभ दिये जाने का बिन्दु है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत 22 टीयूडी वोल्यूम 35 पार्ट 3 पेज 22 सहायक आयुक्त अलवर बनाम कामधेनु इस्पात लि. भिवाडी में कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय अधिनियम के तहत कर आरोपित करने का कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद कर कर व ब्याज आरोपित किया था जिसे माननीय कर बोर्ड ने इस आधार पर उचित नहीं माना कि दोनों अधिनियमों में की जाने वाली कार्यवाही अलग-अलग है जबकि विचाराधीन प्रकरण में जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया जा चुका है कि मुख्य विवाद यह है कि घोषणा पत्र स्वीकार किये जाकर अन्तर्राज्यीय बिक्री का लाभ दिया जावे या नहीं दिया जावे। इस प्रकार इस न्यायिक दृष्टांत से भी अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं मिलती है।

19. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी व्यवसायी द्वारा संशोधन प्रार्थना में लिये गये आधार स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाते हैं।
20. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति समस्त पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जाये।


(राजीव चौधरी)
सदस्य